**राजस्थान सरकार**
**वित्त (कर) विभाग**

क्रमांक प.24(1)वित्त/कर/2021–44 जयपुर, दिनांकः 22.09.2022

## आदेश

**विषयः–राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति–2022 के अन्तर्गत राजस्थानी फिल्मों के संबंध में मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर में प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सबंध में।**

राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति–2022 के अन्तर्गत राजस्थानी फिल्मों के प्रदर्शन के संबंध में मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर में प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सबंध में निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन राज्य माल और सेवा कर की प्रतिपूर्ति किये जाने का निश्चय किया गया हैः–

1. राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति–2022 के भाग–II, राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण प्रोत्साहन एवं अनुदान नीति–2022 के अन्तर्गत गठित फिल्म परीक्षण समिति द्वारा पात्र पायी गयी राजस्थानी फिल्म के प्रदर्शन हेतु पंजीकृत करदाता (मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर) को प्रवेश हेतु देय एवं जमा एस.जी.एस.टी. का पुनर्भरण देय होगा।
2. फिल्म के प्रदर्शन के लिए संबंधित सिनेमा/मल्टीप्लेक्स के प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं की जा सकेगी और न ही विभिन्न श्रेणियों के आसन क्षमता में परिवर्तन किया जायेगा।
3. पंजीकृत करदाता (मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर) द्वारा राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण प्रोत्साहन एवं अनुदान नीति–2022 की क्रियाशील अवधि के अन्दर प्रदर्शित होने वाली फिल्म के दौरान, एस.जी.एस.टी. की धनराशि को घटाकर दर्शकों को टिकटों का विक्रय किया जायेगा।
4. फिल्म पर आगणित राज्य माल और सेवा कर की धनराशि, पंजीकृत करदाता (मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर) द्वारा स्वयं, राजकोष में उसी विहित प्रक्रिया के अनुसार जमा की जायेगी जैसे इस आदेश के अतिरिक्त प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों हेतु विहित है।
5. पंजीकृत करदाता (मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर) द्वारा दर्शकों से एस.जी.एस.टी. की वसूली यदि कर ली गई है तो उसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

6. मुख्य आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन एवं प्रक्रिया के सबंध में पृथक से दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे।
7. पंजीकृत करदाता (मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर) को उपर्युक्त पुनर्भरण राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण प्रोत्साहन एवं अनुदान नीति–2022 की पात्रता की शर्तों को परिपूर्ण करने पर ही देय होगा।
8. यह आदेश राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण प्रोत्साहन एवं अनुदान नीति–2022 की क्रियाशील अवधि तक प्रभावी रहेगा।
9. यदि पंजीकृत करदाता (मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर) द्वारा राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण प्रोत्साहन एवं अनुदान नीति–2022 के अन्तर्गत राजस्थानी फिल्म के प्रदर्शन पर अनुचित तरीके से एस.जी.एस.टी. पुनर्भरण का लाभ प्राप्त किया जाता है तो संबंधित करदाता से एस.जी.एस.टी. की वसूली, कर के बकाया के रूप में होगी तथा बकाया कर संदत्त नहीं किए जाने की तिथि से 18 प्रतिशत की दर से ब्याज राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत वसूल किया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हस्ताक्षर)

**(जसवंत सिंह)**
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त)।
2. मुख्य आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन, कला एवं संस्कृति।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
8. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को आज के असाधारण विशेषांक गजट भाग–1 (ब) में प्रकाशित करावें।
10. रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर)

संयुक्त शासन सचिव